संख्या-34/2026/I/1258952/2026/71-1002/541/2019

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित फार्मेसी, नर्सिंग एवं अन्य पैरा मेडिकल भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष देय धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0/निर्माण/2025-26/572, दिनांक 19.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित फार्मेसी, नर्सिंग एवं अन्य पैरा मेडिकल भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष देय धनराशि रू0 40.80 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-704/71-1-2012-जी-120/2006 दिनांक 25.03.2012 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू0 816.15 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 775.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार रू0 40.80 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नवनिर्मित फार्मेसी, नर्सिंग एवं अन्य पैरा मेडिकल भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-43-राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष देय धनराशि **रू0 40.80 लाख (रू0 चालीस लाख अस्सी हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की जाती है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
4. परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण हो चुकी है, के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-3932/71-1-2006-जी-120/2006 दिनांक 06.11.2006 एवं शासनादेश संख्या-704/71-1-2012-जी-120/2006 दिनांक 25.03.2012 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,80,000 (रुपये चालीस लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054300 मेडिकल कालेज गोरखपुर **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0, लखनऊ।
8- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in